

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक / /2023

क्र. एफ IPI/5/0074/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि. (प्रोटेक्टिव पैकेजिंग डिवीजन) औद्योगिक क्षेत्र घिरौंगी- मालनपुर, जिला भिण्ड में शवलीकरण इकाई के परिप्रेक्ष्य में सुविधा हेतु प्रस्तुत आवेदन पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील (विलंब से प्रस्तुत आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में) पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

“इकाई द्वारा आवेदित परियोजना हेतु नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं की पात्रता निर्धारण हेतु नीति/नियमों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर MPIDC में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इकाई द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारणों की समीक्षा राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा की जाये। परीक्षण उपरांत यदि आवेदक कंपनी द्वारा किया गया विलंब 3 वर्ष से कम पाया जाये तो प्रकरण निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग


भोपाल, दिनांक / /2023

पृ. क्र. एफ IPI/5/0074/2023/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
4. कलेक्टर, जिला - भिण्ड।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि. (प्रोटेक्टिव पैकेजिंग डिवीजन), N-1 to N-12, Malanpur Industrial Area, Malanpur- Distt. Bhind, Madhya Pradesh.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग